


दिनांक 22-12-2021

आज पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील
वादी ने अपने वाद पत्र को नोट प्रेस किया।

अतः वादी का वाद पत्र नोट प्रेस में खारिज किया जाता
है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर
हो।

आदेश सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)